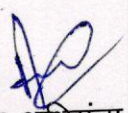


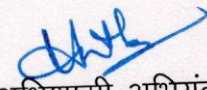
परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा-डोबरगड़ा धारी-मध्या-रैतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का औचित्य

राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1154 / 111-(2) / 14-58(प्रा0आ0) / 13 दिनांक 22.02.2014 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा कपकोट में कांडा-सानिउडियार मोटर मार्ग के स्थान रावतसेरा-डोबरगड़ा-धारीमध्या मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि०मी० (प्रथम चरण) हेतु रू० 0.10 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

जनपद बागेश्वर में विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत सीमान्त गांव धारी आवादी (143) धतियाढूंगा (61) मध्या (40) एवं रैतोली (183) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। जनपद बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ के इन सीमान्त गांवों को यातायात एवं परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है। सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग की कुल लम्बाई 5.00 कि०मी० आती है। उपरोक्त सीमान्त ग्राम वन क्षेत्र के निकट बसे हैं और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए वनों पर आधारित रहते हैं। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से उपरोक्त ग्रामों की कुल 427 स्थानीय जनता को यातायात एवं परिवहन सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। मार्ग के संरक्षण में 2.425 है० वन भूमि एवं विभिन्न व्यास के कुल 92 विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र चीड़ बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते हैं। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू-भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन को रोकने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर


अधिशाली अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो०नि०वि०
बागेश्वर 22/09/14